न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजेरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 21/2024/अपील/कोटा
दायरा दिनांकः 4.3.2024
अन्तर्गत धाराः 7 (3) राज0 गोवंशीय अधिनियम 1995

उनवान

प्रकाशचंद पुत्र कमल निवासी ग्राम बिलिया तालाब बांसवाडा राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

.राज0 सरकार जरिये थानाधिकारी थाना चेचट जिला कोटा (राज0)।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महिपाल सिंह चौहान अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 37/प्रा0पत्र/23 प्रकरण सं0 182/2023 थाना चेचट धारा 3,5,,8,9,10 राज0 गोवशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 वास्ते सुपुर्दगी वाहन सं0 आर0जे0 03 जीए 7299 बावत मे पारित निर्णय दिनांक 12.12.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील धारा 7 (3) राज0 गोवंशीय अधिनियम 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि पुलिस थाना चेचट द्वारा प्रकरण सं0 182/2023 मे जप्त वाहन संख्या आर0जे0 03 जीए 7299 के अधिहरण को सुपुर्दगी मे दिये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाहन मालिक का जुर्म प्रमाणित पाये जाने तथा प्रकरण सिविल न्यायालय रामगंजमण्डी में विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से अस्वीकार किया जाकर दिनांक 12.12.2023 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 7 (3) राज0 गोवंशीय अधिनियम 1995 मे इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयदाद मिसल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट मात्र वाहन का मालिक है वाहन ड्राईवर संचालन कर्ता है। ड्राईवर द्वारा कहां से गौ वशं भरा व उन्हे कंहा ले जा रहा था, ड्राईवर ने कोई जानकारी नही दी। जप्तशुदा वाहन अपीलांट की आय का एकमात्र साधन है। वाहन जप्त हो जाने से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। अपीलांट व उसके परिवार के जीवन यापन का एक मात्र आय का सहारा उक्त वाहन ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जप्त शुदा वाहन थाना चेचट में खुले में पडा हुआ है। जिसके खराब होने व वाहन की मशीनरी खराब होने की पूर्ण आशंका बनी हुई है। वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है। तफतीश पूर्ण कर ली गई है। प्रकरण के ट्राईयल में काफी समय लगने की संभावना है ऐसी अवस्था में जप्तशुदा वाहन को ओर अधिक समय तक पुलिस कस्टडी में जप्त रखे जाने का कोई औचित्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो की अनदेखी कर आदेश पारित किया है। अपीलांट न्यायालय के आदेश अनुसार समुचित जमानत नामा सुपुर्दगीनामा पेश करने को तत्पर है तथा वाहन को ता फैसला प्रकरण कई पर खुर्दबुर्द नही करेगा, किसी के नाम हस्तानान्तरण नही करेगा, ना ही आकार स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा। न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वाहन व दस्तावेज न्यायालय में पेश कर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

देगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.12.2023 अपास्त किया जावे। जप्त शुदा वाहन आरजे 03 /जीए 7299 अपीलांट की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जप्त वाहन रिलीज कर अपीलार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने का अनुरोध किया।

रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने जिला कलक्टर कोटा का निर्णय विधिसम्मत एंव न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस थाना चेचट द्वारा प्रकरण सं0 182/2023 मे जप्त वाहन संख्या आर0जे0 03 जीए 7299 के अधिहरण को सुपुर्दगी मे दिये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाहन मालिक का जुर्म प्रमाणित पाये जाने तथा प्रकरण सिविल न्यायालय रामगंजमण्डी में विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से अस्वीकार किया जाकर दिनांक 12.12.2023 को खारिज किया गया। अपील प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि अपीलांट मात्र वाहन का मालिक है। वाहन ड्राईवर संचालन कर्ता है। ड्राईवर द्वारा गौवशं भरने व ले जाने की कोई जानकारी अपीलांट को नही दी। जप्तशुदा वाहन अपीलांट की आय का एकमात्र साधन है तथा परिवार के जीवन यापन का एक मात्र आय का सहारा है। जप्त शुदा वाहन थाना चेचट में खुले में पडा हुआ है। जिसके खराब होने व वाहन की मशीनरी खराब होने की पूर्ण आशंका बनी हुई है। वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है। प्रकरण के ट्राईयल में काफी समय लगने की संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो की अनदेखी कर आदेश पारित किया है। अपीलांट न्यायालय के आदेश अनुसार समुचित जमानत नामा सुपुर्दगीनामा पेश करने को तत्पर है तथा वाहन को ताफैसला प्रकरण खुर्दबुर्द नही करेगा, किसी के नाम हस्तानान्तरण नही करेगा, ना ही आकार स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा। न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वाहन व दस्तावेज न्यायालय में पेश कर देगा।

अपीलार्थी के उक्त तर्क के संबध मे हस्तगत अपील प्रकरण मे हमारा यह अभिमत है कि जप्त उक्त वाहन अपीलार्थी की आजिवीका का साधन मात्र है तथा अत्याधिक लम्बे समय तक खडे रहने की स्थिति मे पार्टस व मशीनरी के खराब होने की संभावना को नकारा नही जा सकता ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर सहज न्याय के दृष्टिगत, न्यायहित मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 12.12.2023 को आंशिक रूप से इस आशय के साथ संशोधित किया जाकर थानाधिकारी चेचट को जप्त वाहन को इस शर्त पर अपीलार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दौराने लम्बित प्रकरण, वाहन सं0 आर0जे0 03 जीए 7299 को खुर्दबुर्द अथवा बेचान नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर आवश्यक रूप से तत्काल संबधित न्यायालय मे पेश करेंगा, एंव प्रार्थी यदि उक्त वाहन मे बीमा दस्तावेज मे अंकित वाहन की कीमत की 50 प्रतिशत राशि का जुर्माना राजकोष मे जमा कराकर रसीद एंव वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी थाना चेचट के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी/अपीलार्थी की सुपुदर्गी मे दिया जावे। राशि जमा नही कराने एवं उक्त आदेश की पालना नही करने की दशा मे जिला कलक्टर कोटा का निर्णय यथावत रहेगा। थानाधिकारी थाना चेचट को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा